

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 23rd May, 2014

No. CCP(NCR)KNL-Gharaunda/CA/2014/854.— Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional, recreational and uses subservient to the above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the Additional Controlled Area around village Begampur (Hadbast Number 24) district Karnal to be read with Drawing Number DTP (K) 1393/2010, dated the 1st June, 2012.

- North:** Starting from point 'A' i.e. the North-West corner of Rectangle 812 of village Begampur (Hadbast Number 24). Thence moving towards East along Southern boundary of the existing Assandh-Kohnad road up to point 'B' i.e. North-East corner of Rectangle Number 1420 of village Begampur.
- East:** Thence moving from point 'B' towards South along the Eastern revenue boundary of village Begampur upto point 'C' which is the trijunction of Revenue boundaries of village Begampur, village Gudah (Hadbast Number 23) and village Razapur (Hadbast Number 03).
- South/ West:** Thence moving from point 'C' towards South-West along the common district boundary of districts Karnal and Panipat upto point 'A' i.e. the point of Start.

T.C. GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना
दिनांक 23 मई, 2014

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)के०एन०एल०/घरौंडा/सी०ए०/2014/854.—चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, मनोरंजनात्मक तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों हेतु संभाव्य है।

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्: —

अनुसूची

गांव बेगमपुर (हदबस्त संख्या 24), जिला करनाल के अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (ज़) 1393/2010, दिनांक प्रथम जून, 2012, के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर :** बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जोकि गांव बेगमपुर (हदबस्त संख्या 24) की आयत संख्या 812 का उत्तर-पश्चिम कोना है। इसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए वर्तमान असन्ध-कोहण्ड सड़क के दक्षिण सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव बेगमपुर की आयत संख्या 1420 का उत्तर-पूर्वी कोना है।
- पूर्व :** तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव बेगमपुर की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव बेगमपुर, गाँव गुढा (हदबस्त संख्या 23) तथा गांव राजापुर (हदबस्त संख्या 03) की राजस्व सीमा की त्रिमिलान बिन्दु है।
- दक्षिण/पश्चिम :** तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर जिला करनाल और पानीपत की सामान्य सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जोकि आरम्भ का बिन्दु है।

टी० सी० गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।